**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

**कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड**
**विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

**परिवाद संख्या–55 / 2024**

श्री प्रेम सिंह,
नायक गेट, टनकपुर,
जिला– चम्पावत। — वादी

**बनाम**

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
चम्पावत। — प्रतिवादी

## निर्णय

1 .वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके संयोजन संख्या सीएच01टी0321263278 के सापेक्ष मीटर खराब है और अत्यधिक बिल के कारण उनका कनैक्शन काट दिया गया है। उन्होंने गलत बिलों को संशोधित करने के लिये अनुरोध किया है ताकि वह भुगतान कर संयोजन जुडवा सकें।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 88 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई *दिनाकं* 08.10.2024 में मंच के विद्युत शिकायत निवारण कैम्प ब्लॉक पाटी में हुई। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 783552617 पर बात करने की कोशिश की गई परन्तु नं0 गलत पाया गया। प्रतिवादी की तरफ से श्री बसन्त बल्लभ, अवर अभियन्ता, अनुभाग पाटी ने बताया कि वादी का मीटर एवम् बिल सही है। उन्होंने बताया कि वादी का संयोजन, बिलों के बकाये पर काटा गया है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी की तिथि 14.11.2024 को नियत की गई।

3. मंच की अन्तिम सुनवाई तिथि 14.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री संजय भण्डारी, उपखंड चम्पावत से फोन पर बात की गई उन्होंने बताया कि वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं जिनका भुगतान करने के पश्चात वादी का संयोजन चालू कर दिया जायेगा।

14/11/2024 14/11/2024

काद सं० 55/2024

## आदेश

विभाग ने बताया कि वादी के बिल सही निर्गत किये गये है जिनके भुगतान के पश्चात संयोजन को पुनः जोड दिया जायेगा। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अन्दर वादी को अद्यतन अन्तिम बिल उपलब्ध करा दिया जाये जिसका भुगतान करने के पश्चात 3 दिन के अन्दर विभाग द्वारा संयोजन चालू कर दिया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 14.11.2024

14/11/2024
भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

14/11/2024
ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य न्यायिक

**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

**कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड**
**विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर**

उपस्थिति 1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

**परिवाद संख्या–59 / 2024**

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जसमल सिंह , वादी
ग्राम– जेर्थी– खोयम, पो0 होकरा,
जिला– पिथौरागढ़।

**बनाम**

अधिशासी अभियंता, प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
धारचूला।

**निर्णय**

वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, अतः पिताजी के नाम से पंजीकृत विद्युत संयोजन संख्या डीएच0 1एन0105087503 को अपने नाम परिवर्तन के लिए उन्होंने उपखंड कार्यालय मुनस्यारी में प्रपत्र जमा कराये थे। परन्तु अभी तक उनके नाम संयोजन परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके बिल लगातार बढकर आ रहे है। उन्होंने बिलों को ठीक करने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 110 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

1. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 14.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चन्द्र, लेखाकार उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी द्वारा नाम प्रविर्तन के लिए उपखण्ड कार्यालय मुनस्यारी में प्रपत्र जमा कराए गए थे जो कि अपूर्ण थे। उपभोक्ता से उनके दिये गये फोन न0 पर वार्तालाप करने के पश्चात् उपभोक्ता ने अपूर्ण पपत्र के सापेक्ष अपने नाम की खाता खतोनी व्हासटअप पर पीडीफ के रूप में भेजी जिसे उपभोक्ता के हित में स्वीकार कर लिया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता को नाम प्रविर्तन करने के लिए जमानत धन राशि रू0 600 जमा करनी है। वादी को यह भी बताया गया की वह अपना करंट बिल भी जमा करें। उपरोक्त राशि जमा करने के पश्चात् नाम परिवर्तन की कारवायी की जायेगी। विभाग ने यह भी बताया कि वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं। मंच द्वारा वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी की तिथि दिनांक 27.11.2024 नियत की गई थी।

वाद सं० 58/2024

2. मंच की सुनवाई दिनाकं 27.11.2024 में वीडियों कोन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशासी अभियन्ता –धारचूला ने बताया की वादी द्वारा अपने संयोजन के नाम परिवर्तन के लिए उपखण्ड कार्यालय मुनस्यारी में पपत्र जमा कराए गए थे जो कि अपूर्ण थे जिसके लिए व्हासटअप पर उपभोक्ता से आवश्यक पपत्र मगां कर नाम प्ररिवर्तन की कार्यवायी की गई है। उन्होंने बताया कि वादी को नाम परिवर्तन के लिए करंट बिल के साथ जमानत धन राशी 600रू0 जमा करनी है जिसके पश्चात् वादी का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। वादी से उनके द्वारा दिऐ गऐ फो0 नं0 8279864937 पर बात कि गई। वादी ने बताया कि वह उपरोक्त राशि जल्दी ही जमा कर देंगें। वादी द्वारा उपरोक्त का भुगतान के पश्चात् विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर नाम परिवर्तन की कार्यवाही कि जाए।

**आदेश**

विभाग द्वारा संयोजन के नाम परिवर्तन हेतु वादी से आवश्यक प्रपत्रों की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। वादी को नाम परिवर्तन के लिए जमानत धनराशि रू0 600 के साथ करंट बिल भी जमा करना है जिसको जल्दी ही जमा करने के लिए वादी ने आश्वस्त किया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा उपरोक्त का भुगतान के पश्चात् 15 दिन के अंदर नाम परिवर्तन की कारवायी कि जाए। वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं जिस पर वादी ने अपनी सहमति दे दी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 27.11.2024**

27/11/2024 27/11/2024

| | | |
|---|---|---|
| **भूपेन्द्र सिंह बिष्ट** | **ओ0पी0 दीक्षित** | **चामू सिंह गर्स्याल** |
| **सदस्य उपभोक्ता** | **सदस्य तकनीकी** | **सदस्य न्यायिक** |

**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

**कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड**
**विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

**परिवाद संख्या–60/2024**

श्री रतन सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह , — वादी
ग्राम– खोयम, पो0– होकरा,
जिला– पिथौरागढ़।

**बनाम**

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
धारचूला।

**निर्णय**

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या डीएच0 1एन0105145450 के सापेक्ष उनका बिल लगातार बढ़कर आ रहा है जबकि उनके यहॉ फ्रीज, कूलर, टी0वी0 आदि नहीं हैं। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 109 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 14.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चन्द्र, लेखाकार उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी के बिल नवंबर 2018 से सितंबर 2024 तक आरडीएफ0 में निर्गत किए गये थे जिसका संशोधन कर तथा 18928 रू0 की धनराशि का संमायोजन करते हुऐ नेट बिल 2224 रू0 बना है जो सही है और देय है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 27.11.2024 को नियत की गई थी।

3. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 27.11.2024 में वीडियों कोन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशासी अभियन्ता–धारचूला ने बताया की वादी के बिल, नवंबर 2018 से सितंबर 2024 तक आरडीएफ0 के आधार पर बने थे जिसको संशोधित कर तथा रू0 18298 का समायोजन कर नेट धनराशि 2224 रू0 आती है जो सही है और देय है। उपरोक्त पर वादी द्वारा दिए गऐ फो0 नं0 8279864937 पर सुनवाई की गई। वादी श्री रतन सिंह ने बताया कि उपरोक्त धनराशि सही है और उन्होंने अद्यतन बिल के रूप में रू0 3500 का भुगतान भी कर दिया है।

27/11/24 27/11/2024

आ0वा0 नि0 60/2024

## आदेश

विभाग द्वारा नवम्बर 2018 से सितम्बर 2024 तक आरडीएफ0 के बिलों का संशोधन कर तथा संशोधित बिल में रू0 18928 का समायोजन कर नेट बिल रू0 2224 निर्गत कर दिया गया है जिसके सापेक्ष वादी द्वारा अद्यतन बिल के रूप में रू0 3500 का भुगतान भी कर दिया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 27.11.2024**

27/11/2024 | 27/11/2024 |
|---|---|---|
| **भूपेन्द्र सिंह बिष्ट** | **ओ0पी0 दीक्षित** | **चामू सिंह गर्स्याल** |
| **सदस्य उपभोक्ता** | **सदस्य तकनीकी** | **सदस्य न्यायिक** |